न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 41/2020 दर्ज दिनांक 30.12.2020

फैसल दिनांक 08.07.2024

1 सुखराम पिता रामा ननोमा उम्र वयस्क निवासी धोधरा तालाब फला तहसील सीमलवाड़ा जिला—डूंगरपुर राज.।

—वादीगण

बनाम

1 कमलाशंकर पिता कानजी ननोमा उम्र वयस्क
2 लाला पिता कानजी ननोमा उम्र वयस्क
3 राकेश पिता कानजी ननोमा उम्र वयस्क
4 मोहन पिता कानजी ननोमा उम्र वयस्क
5 श्रीमती गंगा पत्नी कानजी ननोमा उम्र वयस्क
6 नानुराम पिता रामा ननोमा उम्र वयस्क
7 बंसी पिता प्रेमजी ननोमा उम्र वयस्क
8 रतनलाल पिता डूंगर ननोमा उम्र वयस्क
9 लक्ष्मण पिता प्रेमजी ननोमा उम्र वयस्क
10 हरजी पिता डूंगर ननोमा उम्र वयस्क निवासीयान धोधरा तालाब फला तहसील सीमलवाड़ा जिला—डूँगरपुर राज.।
11 भूमिधारी तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदय, तहसील सीमलवाड़ा जिला—डूंगरपुर राज.।

—प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53,88,209 राज.काश्त.अधि.
सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः—
अधिवक्ता वादी :— श्री गौतमलाल रोती।
अधिवक्ता प्रतिवादी :— एक पक्षीय कार्यवाही।
राज्य सरकार की ओर से राजकीय पेरोकार।

: निर्णय :

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी सुखराम पिता रामा ननोमा निवासी धोधरा तालाब फला एवं प्रतिवादीगण सं. 01 से 10 के संयुक्त कब्जे व स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम धोधरा खाता संख्या 198 खसरा संख्या 139, 52, 58, 59, 79से 83, 87, 88, 93, 94, 96, 97, 98 कुल किता 16 रकबा 6.7852 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 197 खसरा सं. 10, 103, 11, 12, 121, 122, 123, 13, 135, 136, 137, 138, 149, 15, 17, 46, 07, 84, 85 कुल किता 20 रकबा 7.4218 हैक्ट. है। यह कि वाद कारण आज से दस दिन पूर्व वादी संयुक्त कब्ज की विरासती खातेदारी भूमि के पारीवारिक बंटवारे के हिस्से अनुसार अपने कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 02 में अंकित आराजीयों में फसल की बुवाई से पूर्व खेतों में खेड़ाई

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

व जुताई का कामकाज कर रहा था। उसी समय प्रतिवादीगण वादी के पारीवारिक बंटवारे में आई कब्जे काश्त की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जबरन हड़पने की नियत से काश्त में रूकावट पैदा कर झगड़ा फसाद करने लगे, जिसपर वादी ने पारीवारिक बंटवारे में आई हिस्से की भूमि में कार्य करने की बात करने पर भी प्रतिवादीगण खेतीबाड़ी के कार्य में रूकावट पैदा कर वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने जबरन हड़पने को उतारू होने लगे। जिसपर वादी ने पंचों को इकट्ठा कर प्रतिवादीगण को विधिक रूप से राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा कर हिस्से वादी एवं प्रतिवादीगण को अलग–अलग खातों में कायम करने की बात करने पर प्रतिवादीगण बंटवारा नहीं करना कहकर झगड़ा–फसाद पैदा करने लगे। वाद कारण लगातार उत्पन्न होने लगा जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। जिससे मियाद अवधि में वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौजा धोधरा में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का कब्जे के आधार पर विधिक रूप से हिस्सों में बराबर बंटवारा कर अलग–अलग खाते कायम किये जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाये वादी के हक हिस्से में आयी विरासती खातेदारी कृषि भूमि में काश्त में रूकावट प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे न अपने मित्र एजेंट से करावें। न ही वादी को वादग्रस्त आराजी में काश्त करने उपयोग–उपभोग करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करे न अपने मित्र एजेंट से करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के तलब किया गया तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पीयुष कलाल ने वकालतनामा एवं जवाब दावा प्रस्तुत किया। तनकीयात निम्नानुसार कायम की गईः–

तनकी नं. 1

आया कि वादी प्रतिवादीगण को इस बात के लिये पाबन्द कराने का अधिकारी है कि विवादित भूमि के अपने हक हिस्से की विरासती खातेदारी भूमि में काश्त करने में रूकावट पैदा करने पर उन्हें पाबन्द कराने का हकदार है ?

–बजिम्मे वादी

तनकी नं. 2

आया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच विवादित भूमि के संयुक्त कब्जे के आधार पर विधिक रूप से हिस्से में बराबर बंटवारा कर अलग–अलग खाते कायम कराने का हकदार है ?

–बजिम्मे वादी

अनुतोष–

वादी द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की और गवाह के रूप मे स्वयं वादी सुखराम को परीक्षित कराया तथा वादीपक्ष की ओर से दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता संख्या 198 प्रदर्श–01, जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता संख्या की नकल प्रदर्श–02 प्रर्दशित कराया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जिरह पूर्ण की। वादीगण की ओर से अन्य कोई गवाह प्रस्तुत नहीं करना चाहा, जिसपर साक्ष्य वादी बंद की गई। साक्ष्य प्रतिवादीगण पेश करने हेतु अवसर चाहा गया, अवसर दिया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण पेश करने हेतु बार–बार कई अवसर दिये जाने के बावजूद अधिवक्ता प्रतिवादीगण न तो स्वयं उपस्थित हुए न ही साक्ष्य प्रस्तुत की। ऐसे में साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई तथा प्रकरण में बहस हेतु आगामी पेशी नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकी वार निर्णय करना उचित समझता हूँ:-

तनकी नम्बर 1-
इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की और गवाह के रूप मे स्वयं वादी सुखराम को परीक्षित कराया। वादी सुखराम द्वारा अपनी जिरह में कथन किया है कि मौके पर संयुक्त रूप से काश्त नहीं कर रहे हैं पारीवारिक बंटवारा किया हुआ है, उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, इसलिये वादी को उसकी भूमि में काश्त करने में रूकावट पैदा नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे। इस तनकी का निर्णय बहक वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या 2-
इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की और गवाह के रूप मे स्वयं वादी सुखराम को परीक्षित कराया तथा वादीपक्ष की ओर से दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2073-76 खाता संख्या 198 प्रदर्श-01, जमाबंदी संवत् 2073-76 खाता संख्या की नकल प्रदर्श-02 प्रर्दशित कराया गया। अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादी के पक्ष में किया जाता है।

:: आदेश ::

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम धोधरा तहसील सीमलवाडा मे स्थित जमाबंदी खाता संख्या 198 खसरा संख्या 139, 52, 58, 59, 79से 83, 87, 88, 93, 94, 96, 97, 98 कुल किता 16 रकबा 6.7852 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 197 खसरा सं. 10, 103, 11, 12, 121, 122, 123, 13, 135, 136, 137, 138, 149, 15, 17, 46, 07, 84, 85 कुल किता 20 रकबा 7.4218 हैक्ट. भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण को उनके हिस्से अनुसार हिस्सा देते हुए अच्छी से अच्छी किस्म/लोकशन एवं बुरी से बुरी किस्म/लोकेशन के अनुसार भूमि एवं आवाजाही हेतु रास्ता देते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

बंटवारे के वाद में प्राथमिक डिक्री

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखण्ड अधिकारी श्री राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या 41/2020 निर्णय दिनांकः– 08.07.2024

सुखराम बनाम कमलाशंकर वगैरह

वाद अर्न्तगत धारा 53,88,209 राज.काश्त.अधि.
सपठित धारा 151 जा.दी.

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :–श्री राकेश कुमार न्योल

व हाजरीः–
मिनजानिब मुदई श्री गौतमलाल रोत उपस्थित व मुदायलाह अनुपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है किः–

वादग्रस्त आराजी ग्राम धोधरा तहसील सीमलवाडा मे स्थित जमाबंदी खाता संख्या 198 खसरा संख्या 139, 52, 58, 59, 79से 83, 87, 88, 93, 94, 96, 97, 98 कुल किता 16 रकबा 6.7852 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 197 खसरा सं. 10, 103, 11, 12, 121, 122, 123, 13, 135, 136, 137, 138, 149, 15, 17, 46, 07, 84, 85 कुल किता 20 रकबा 7.4218 हैक्ट. भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण को उनके हिस्से अनुसार हिस्सा देते हुए अच्छी से अच्छी किस्म/लोकशन एवं बुरी से बुरी किस्म/लोकेशन के अनुसार भूमि एवं आवाजाही हेतु रास्ता देते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 08.07.2024 को डिक्री जारी की गई।

दस्तखत. . . . .
ओहदा . . . .

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

Scanned with OKEN Scanner